राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्र.सं.	परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या	सम्बन्धित अपील संख्या
1.	66/2014/चित्तौड़गढ़	923/2011/चित्तौड़गढ
2.	67/2014/चित्तौड़गढ़	924/2011/चित्तौड़गढ
3.	68/2014/चित्तौड़गढ़	925/2011/चित्तौड़गढ

मैसर्स निसार अहमद, 173, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा .....अप्रार्थी.

क्र.सं.	परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या	सम्बन्धित अपील संख्या
4.	69/2014/चित्तौड़गढ़	926/2011/चित्तौड़गढ
5.	70/2014/चित्तौड़गढ़	927/2011/चित्तौड़गढ
6.	71/2014/चित्तौड़गढ़	928/2011/चित्तौड़गढ
7.	72/2014/चित्तौड़गढ़	929/2011/चित्तौड़गढ
8.	73/2014/चित्तौड़गढ़	930/2011/चित्तौड़गढ

मैसर्स शिव कुमार शर्मा, 35/16, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा .....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/11/2016

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा ये संशोधन प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या क्रमशः 923/2011 से 930/2011/चित्तौड़गढ़ में एकलपीठ द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 13.02.2014 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किये गये हैं। इन सभी प्रार्थना–पत्रों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण को वर्ष 2007 में संकर्म संविदा के तहत जो कार्यादेश प्राप्त हुए थे, उनके सम्बन्ध में करमुक्ति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन दिनांक 09.04.2008 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी ने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 23.07.2009 से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया

लगातार.....2

कि करमुक्ति प्रमाण—पत्र हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005—80 दिनांक 11.08.2006 के क्लॉज—3 में यह अंकित किया हुआ है कि किसी भी प्रार्थना—पत्र को विलम्ब से होने के बावजूद भी स्वीकार किया जा सकता है, जिसके लिये विलम्ब शुल्क रूपये 1000/— निर्धारित की गयी थी, परन्तु इस क्लॉज के तहत वे प्रार्थना—पत्र ही विलम्ब से स्वीकार किये जा सकते हैं, जो संकर्म संविदा के तहत दिये गये संविदा कार्य से एक साल के भीतर प्रस्तुत किये गये हों। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा करमुक्ति प्रमाण—पत्र हेतु जो आवेदन किये गये थे, वे संविदा कार्य प्राप्तियों के एक वर्ष पश्चात किये गये थे। अतः करमुक्ति प्रमाण—पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया।

3. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा संयुक्तादेश दिनांक 03.12.2010 से कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि की गयी।

4. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड में अपीलें प्रस्तुत की जाने पर माननीय कर बोर्ड द्वारा संयुक्त निर्णय दिनांक 13.02.2014 को पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए निष्कर्ष दिया गया कि अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में करमुक्ति प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन संविदा कार्य आदेश के एक वर्ष के भीतर किया जाना अनिवार्य था, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा समस्त आवेदन कार्य प्राप्ति के एक वर्ष पश्चात किये गये थे।

5. माननीय कर बोर्ड के उक्त आदेश दिनांक 13.02.2014 में संशोधन हेतु प्रार्थीगण द्वारा ये संशोधन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना—पत्रों का अवलोकन किया गया, जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा पुनः वे ही आधार अंकित किये गये हैं, जो माननीय कर बोर्ड में प्रथम अपील के समय प्रस्तुत किये गये थे, जो निम्नांकित हैं :—

A. यह कि अपीलार्थीगण द्वारा पंजीयन दायित्व दिनांक 01.04.2007 से प्राप्त किया गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2008 के आदेश के जरिये भूतलक्षी प्रभाव से दिया गया था।

B. यह कि पंजीयन दायित्व जारी होने की दिनांक के बाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे विलम्ब नहीं माना जा सकता।

लगातार.....3

6. उक्त तथ्यों को माननीय कर बोर्ड के निर्णय में विवेचित नहीं किये जाने के आधार पर संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 13.02.2014 का समर्थन करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

8. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना—पत्रों का अवलोकन किया गया एवं माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 13.02.2014 का अध्ययन किया गया। माननीय कर बोर्ड ने जो आदेश पारित किया है, उसमें वे सभी तथ्य आ चुके थे, जो परिशोधन प्रार्थना—पत्रों में प्रस्तुत किये गये हैं। कर बोर्ड के निर्णय में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थीगण को अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अधीन विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन किये जाने पर करमुक्ति प्रमाण—पत्र जारी किये जा चुके हैं, परन्तु यह भी शर्त है कि वह विलम्ब किसी कार्य संविदा की प्राप्ति के एक वर्ष बाद का अनुज्ञेय नहीं है, इस आधार पर माननीय कर बोर्ड ने अपीलें अस्वीकार की थी।

9. संशोधन प्रार्थना—पत्रों पर न्यायहित में विचार किया गया एवं यह पाया कि प्रार्थीगण द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत जो आवेदन प्रस्तुत किये गये थे, उसमें क्लॉज—3 के अनुसार विलम्ब को माफ किया जा सकता था, परन्तु इस अधिसूचना के क्लॉज—2 में यह स्पष्ट किया गया है कि करमुक्ति प्रमाण—पत्र हेतु कोई भी आवेदन 30 दिवस के भीतर किया जा सकता है एवं 30 दिवस के बाद के आवेदन को भी स्वीकार किया जा सकता है, जैसा कि क्लॉज—3 में अंकित किया गया है, परन्तु क्लॉज—3 में यह भी अंकित किया गया है कि यह विलम्ब ठेका प्राप्ति के एक वर्ष तक माफ हो सकता है एवं उसके पश्चात कोई भी प्रार्थना—पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा।

10. यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा विलम्ब से प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, परन्तु क्लॉज—3 की शर्त कि — "No such application shall be entertained after expiry of one year from the date of the award of the contracts" में यह बाध्यकारी है कि एक वर्ष के बाद करमुक्ति प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से यह आवेदन अस्वीकार किये गये थे, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी एवं माननीय कर बोर्ड द्वारा की गयी है, जिसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं होने से संशोधन का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

लगातार.....4

11. यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की है, जिसमें वर्ष 2007—08 एवं 2008—09 के प्रकरणों में क्लॉज—3 की अनिवार्यता की शर्त को समाप्त की गई हो।

12. यह उल्लेख किया जाना भी उचित होगा कि प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन भी किया गया है कि उनको पंजीयन दायित्व दिनांक 27.11.2008 से प्राप्त हुआ है, अतः उसके एक वर्ष के भीतर प्रमाण—पत्र जारी किये जा सकते थे, वह पूर्णतया विधिविरूद्ध है, क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा पंजीयन विलम्ब से प्राप्त किये गये हैं, परन्तु करमुक्ति प्रमाण—पत्र का लाभ प्राप्त करने के लिये अधिसूचना में अंकित शर्त से अन्यथा कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

13. इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय **सिटीमैक्स होटल्स (इण्डिया) प्रा0 लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन—प्रथम, जयपुर 43 टैक्स अपडेट 61** में करमुक्ति प्रदान करने सम्बन्धित सिद्धान्त पर विस्तृत विश्लेषण करते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **नोवोपान इण्डिया लिमिटेड (1994) Supp 3 एस.सी.सी. 606** में निर्धारित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णीत किया गया है कि करमुक्ति के प्रावधान की पालना अक्षरशः कठोरता से लागू करना अनिवार्य है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में निम्न व्यवस्था दी गयी है :—

> "That in case of ambiguity, a taxing statute should be construed in favour of the assessee -assuming that the said principle is good and sound-does not apply to the construction of an exemption or an exemption provision; they have to be construed strictly. A person invoking an exception or an exemption provision to relieve him of the tax liability must establish clearly that he is covered by the said provision. In case of doubt or ambiguity, benefit of it must go to the Revenue."

14. उक्त सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों **स्टेट ऑफ गुजरात बनाम एस्सार ऑयल लिमिटेड (2012) 3 एस.सी.सी. 522** एवं **सेंट्रल एक्साईज बनाम हरिचन्द श्रीगोपाल (2011) 6 एस.टी.आर. 369 (एस.सी.)** में भी स्वीकार किया गया है।

लगातार.....5

15. उक्त विवेचन अनुसार माननीय कर बोर्ड के आदेश दिनांक 13.02.2014 में कोई भी त्रुटि नहीं होना पाया जाता है, अतः समस्त आठ परिशोधन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

16. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य